कार्यालय नगर निगम बरेली।

पत्रांक 444 /एस0टी0/न0आ0/2018–19 दिनांक– 26-07-2018

आदेश

उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन (यू0पी0वी0एच0ए0) लखनऊ एवं पारस एजुकेशन सोसाइटी बरेली के क्षेत्रीय समन्वयक के द्वारा जारी पत्र संख्या यूपीवीएचए/टी.सी.पी./2018 दिनांक 23.06.2018 के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम/स्थानीय निकायों में वेन्डर लाईसेंसिंग प्राविधान लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है, उक्त एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनपदों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन करेंगे साथ ही जनहित में प्रदेश के सभी नगर निगम/स्थानीय निकायों में वेन्डर लाईसेंसिंग प्रावधान लागू करते हुए किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई आदि कार्य बिना लाइसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में विदित है कि लगभग 20 करोड़ की आवादी वाले उत्तर प्रदेश में 530 करोड व्यस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते है। (52 प्रतिशत पुरुष एवं 18 प्रतिशत महिलाए धुमपान एवं तम्बाकू सेवन से लोगों में कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियां एवं अकाल मृत्यु/अपंगता पायी जा रही है।) इसके अतिरिक्त, जहाँ एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को अर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न, विकास कार्यो के लिए प्रावधानित किये गए धनराशि को बीमार के उपचार में आर्थिक सहायता के रूप में खर्च करना पडता है जिसके कारण प्रदेशवासियों का विकास प्रभावित होता है, देश में तम्बाकू जनित गंभीर बीमारियों से प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है।

वर्ष 2010 एवं 2016 क वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS) के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि देश में तो तम्बाकू सेवन करने वालों की संख्या में 6 प्रतिशत की कमी आयी है किन्तु उत्तर प्रदेश में तम्बाकू सेवन करने वालों की संख्या में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि अधिक आवादी वाले प्रदेश के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है।

बरेली शहर प्रदेश के अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है जहाँ पर तम्बाकू पदार्थो का अधिक लोगों द्वारा सेवन तो किया ही जाता है, साथ ही यहाँ पर उसका निर्माण, आयात एवं बिक्री भी की जाती है जिससे लोगों में पैदा होती गंभीर बीमारियों के मद्देनजर नियंत्रण एवं रोकथाम करना अति आवश्यक हो गया है।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू के उपयोग को नियंत्रित कर इससे होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन (कोटपा–2003) लागू किया गया है। सिगरेट और अन्य

तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा–2003) के माध्यम से अवस्यकों, कम उम्र के युवाओं एंव जन समूह द्वारा तम्बाकू, उत्पाद के उपयोग को रोकने, तम्बाकू की हानिकारक लत से बचाने तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार पर प्रतिवन्ध लगाना है।

अवस्यकों एवं कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. NO. P-16012/14/2017-TC, दिनांक 21 सितम्बर 2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि तम्बाकू उत्पाद के विक्रय करने वाले दुकानों पर टॉफी, कैडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। साथ ही तम्बाकू उत्पादो के व्यापारियों/दुकानदारों को नगर निगम या स्थानीय निकायों से लाइसेंस/अनुज्ञप्ति/ अनुमति प्राप्त कर इस का विक्रय करने का सुझाव दिया है।

विदित हो कि अवस्यकों एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रोकने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रायल का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक/नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बैचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माना का प्रावधान है।

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा साथ ही किसी खाद्य उत्पाद के घटक के तौर पर तम्बाकू एवं निकोटिन का उपयोग प्रतिषिद्ध करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 पारित किया गया है। तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा अपने सम्बन्धित नगर पालिका अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा विक्रय को खतरनाक एवं आक्रामक व्यापार के तौर पर सूचीवद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 2(46) के अन्तर्गत लोगों के स्वास्थ्य पर खतरनाक एवं जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तम्बाकू से बने उत्पाद अपदुषण है। इस अधिनियम की धारा 114 (xii एवं xix) के अन्तर्गत संसर्गिक, संक्रामक एवं खतरनाक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आपत्तिजनक एवं खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकों एवं कार्यों का विनयमन तथा उनकों समाप्त किये जाने के लिए तार्किक एवं आवश्यक प्रावधान बनाने की बरेली नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य है। इसी अधिनियम की धारा 437 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन या भूमि में सार्वजनिक अपदुषण पैदा करने वाली वस्तु का निर्माण, संग्रह, व्यवहार या निस्तारण के लिये को नगर आयुक्त रोक सकता है और धारा 438 के अन्तर्गत बिना नगर आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुकूल कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादी में या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, न सम्पादित करेगा और नहीं सम्पादित करने की अनुज्ञा देगा।

नगर निगम के संज्ञान में आया है कि बरेली शहर के विभिन्न दुकानों/भवनों/ परिसरों में तम्बाकू उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के ही की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का उल्लंघन है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा), विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई बरेली नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बिना लाइसेंस/ अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है। साथ ही लाइसेंस/अनुज्ञप्तिधारक तम्बाकू विक्रेता उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)–2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।

यदि कोई व्यापारी/दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपर्युक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
नगर आयुक्त
नगर निगम,बरेली।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लखनऊ उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली।
4. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम बरेली।
5. समस्त जोनल अधिकारी, नगर निगम बरेली।
6. क्षेत्रीय समन्वयक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन 5/459 विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ।
7. पारस एजुकेशन सोसाइटी बरेली को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम,बरेली।